दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-1 (कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

बुधवार 19, दिसम्बर,2001/मार्गशीर्ष 28,1923 (शक)

नंख्या-	65	गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजिल : शहीद गुरु तेग बहादुर के शहीदी
	2.00 बजे	दिवस के उपलक्ष्य म सद्भ क्षारा राजा उ
	2.10 बजे	पर सम्मान प्रकट किया गया । प्रश्न काल: तारांकित प्रश्न संख्या 21,22 और 24 से 29 पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये । प्रश्न संख्या- 23 तथा 30 से 40 के उत्तर तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 से 55 के उत्तर सदन पटल
		पर रखे गये ।
2.	3.08बजे	निन्दा प्रस्ताव पर व्यवस्था: डॉ. जगदीश मुखी ने मुख्य मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास किया । अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि चूंकि कार्य स्थगन प्रस्ताव, जो कि निन्दा प्रस्ताव का ही रूप होता है, पर दिनांक 18.12.2001 को उसी विषय पर चर्चा हो चुकी हैऔर नियमों में निन्दा प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है,इसलिये उन्होंने निन्दा प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकार कर दिया है ।
		सदस्य का निलम्बन: अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था से संतुष्ट न होने पर श्री साहब सिंह चौहान जोर-शोर से विरोध प्रकट करने लगे और उन्होंने अपने आसन पर बैठने से मना कर दिया । स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदस्य को सदन की तीन दिन की बैठकों के लिये निलंबित कर दिया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और
		स्वीकार किया गया । सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात सदन पटल पर परस्तुत किये गये कागजात
3.	3.15 बजे	सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कोगजात मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित कागजातों की प्रति सदन पटल पर रखीं:- 1. 19.10.2001 को अधिसूचित दिल्ली सूचना अधिकार
		नियम,2001 2. दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम,2001 के लागू होने वे
		संबंध में अधिसूचन। 3. 3.10.2001 को अधिसूचित दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम 2001 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के संबंध र
		अधिसूचना 4. 21.11.2001 को अधिसूचित सूचना अधिकार अधिनियम,2001 के लिये राज्य परिषद की स्थापना के

		संबंध में जारी अधिसूचना
4.	3.20 बजे	विशेष उल्लेख नियम-287
7.	3.20 90	निम्नलिखित सदस्यों ने नियम-287 के अंतर्गत मामले उठाये :-
		1. श्री माला राम गंगवाल
		3. डॉ. जगदीश मुखी - मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया
		4. श्री रूप चन्द
		5. श्री जय भगवान अग्रवाल
		6. श्री भीष्म शर्मा
		7. श्री सुशील चौधरी - मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया
020		8. श्री वीर सिंह
		9. श्री सुरेन्द्र कुमार - उद्योग मंत्री ने हस्तक्षेप किया
		10. श्री महेन्द्र सिंह - मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया
5.	3.50 बजे	प्रतिवेदनों पर सहमति
		1.श्री मंगत राम सिंघल ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-
		कि यह सदन दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 को सदन में प्रस्तुत
		कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है ।
-		प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
		2. श्री मंगत राम सिंघल ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-
		कि यह सदन दिनांक 18 दिसम्बर,2001 को सदन में प्रस्तुत
		गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के दसवें
		प्रतिवेदन से सहमत है ।
		3. श्री राधेश्याम खन्ना ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-
		कि यह सदन शिक्षा विभाग से संबंधित लोक लेखा समिति
		के छठे पतिवेदन पर कार्रवाई रिपोर्ट प्र लोक लेखा समिति
		के प्रतिवेदन से सहमत है ।
		प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया
		गया ।
6.	3.55 बजे	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण
	3.33 90	
		1 2 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का छठा प्रतिवेदन सदन
		में प्रस्तुत किया ।
		2. श्री राधेश्याम खन्ना ने लोक लेखा समिति का नौंवा
7	12.55	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया ।
7.	3.57 बजे	विधेयकों का पुर:स्थापन
		मुख्य मंत्री ने सदन की अनुमित से निम्नलिखित विधेयक सदन में
		पुरःस्थापित किये :-
		1. दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक,2001(2001 का
		विधेयक संख्या-29)
	200	2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में विपक्ष के
		नेता वेतन एवं भत्ते विधेयक,2001 (2001 का विधेयक
		संख्या-30)
		3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्य
	1	
		(वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2001 (2001

		4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के (वेतन एवं मत्ते)(संशोधन)विधेयक,2001(2001 का विधेयक संख्या-32)
	1	सदन जलपान अवकाश के लिये स्थगित हुआ ।
	3.58 बजे	सदन जलपान अपकारा पंगालप रवानस हुवा न
8.	4.35 बजे 6.14 बजे	सदन पुनः समवेत हुआ । निलम्बन का निरस्त होना : साहव सिंह चौहान का निलम्बन निरस्त िकया गया । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :- श्री जिले सिंह चौहान,श्री महाबल मिश्रा,श्री अरिवन्दर सिंह लवली और श्री तरिवन्दर सिंह मारवाह ने राजधानी में आतंकवादी गितिविधियों के कारण दिल्लीवासियों में व्याप्त असुरक्षा की मावना, इर और आतंक की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया: मुख्य मंत्री ने इस संबंध में सिक्षप्त वक्तव्य दिया । निम्निलिखित सदस्यों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा :- 1. श्री नरेश गौड़ 2. श्री शोएब इकबाल 3. श्री राम सिंह नेताजी 4. श्री जय भगवान अग्रवाल 5. डॉ. जगदीश मुखी 6. श्री कंवर करण सिंह 7. श्री नसीब सिंह 8. श्री महेन्द्र यादव 9. श्री सुभाष चोपड़ा 10. श्रीमती मीरा भारद्वाज मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया । सदन पूरे दिन के लिये स्थिगत हुआ ।
		1010

दिल्ली, 19 दिसम्बर,2001

एस.के.शर्मा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-I

(Brief summary of proceedings) Wednesday, the 19th December, 2001/28 Marghshish, 1923 (Saka)

No. 65

- 2.00 PM <u>Tributes to Guru Tegh Bahadur:</u>On the occasion of martyr day of Guru Tegh Bahadur's Martyrdom the House paid tributes to the sacrifices made by Guru Tegh Bahadur.
- 01 2.10 PM QUESTION HOUR: Starred Questions 21, 22 and 24 to 29 were raised and replied. Replies to Starred 23 and 30 to 40 and Unstarred 30 to 55 were laid on the Table.
- O2 3.08 PM Ruling on Censure Motion: Shri Jagdish Mukhi tried to move a censure motion against the Chief Minister. The Chair ruled that as an adjournment motion had already been discussed on 18.12.01 which has an element of censure, on the same subject and there was no provision of censure motion in the Rules, he had disallowed the notice for censure motion.

<u>Suspension of Member:</u> Not satisfied with the ruling Shri Sahab Singh Chauhan made loud protests and refused to resume his seat The Health Minister moved a motion for the suspension of the Member for three days. The motion was put to vote and adopted.

03 3.15 PM PAPERS LAID ON THE TABLE:

The Chief Minister laid copies of the following on the Table:

- 1. Delhi Right to Information Rules, 2001 notified on 19.10.2001.
- 2. Notification regarding enforcement of Delhi Right to information Act, 2001.
- 3. Notification of 'Competent Authorities' under the Delhi Right to Information Act, 2001, notified on 3.10.2001.
- 4. Notification of Establishment of State Council for Right to Information Act, 2001 notified on 21.11.2001.

03 3.20 PM

SPECIAL MENTION (Under Rule 287):

The following members made special mention under Rule 287:

- 1./Shri Mala Ram Gangwal
- 2. Shri Nand Kishore Garg Transport Minister intervened
- 3 Shri Jagdish Mukhi Chief Minister intervened
- 4 Shri Roop Chand
- 5.- Shri Jai Bhagwan Aggarwal
- 6 Shri Bheeshm Sharma
- 7. Shri Sushil Choudhary Chief Minister intervened
- 8. Shri Veer Singh
- 9 Shri Surender Kumar
- Industries Minister intervened
- 10. Shri Mahender Singh
- Chief Minister intervened

04	3.50 PM	ADOPTION OF REPORTS: 1. Shri Mangat Ram Singhal moved the following motion:
		"that this House agrees to the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 18 th December 2001."
		The Motion was put to vote and adopted.
		 Shri Mangat Ram Singhal moved the following motion: that this House agrees to the Tenth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolution presented to the House on 18th December, 2001." The Motion was put to vote and adopted.
		3. Shri Radhey Shyam Khanna moved the following motion: "that this House agrees to the Report of the Public Accounts Committee on the Action Taken Report of the Education Department on the VI Report of the PAC." The Motion was put to vote and adopted.
05	3.55 PM	PRESENTATION OF REPORTS: 1. Shri Moti Lal Bokolia presented the Sixth Report of the Committee on the Welfare of SC/ST/OBCs. 2. Shi Radhey Shyam Khanna presented the Ninth Report of the Public Accounts Committee.
06	3.57 PM	INTRODUCTION OF BILLS: The Chief Minister introduced the following Bills with the leave of the House: "The Delhi High Court (Amendment) Bill, 2001 (Bill No.29 of 2001)" "The Leader of the Opposition in the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi (Salary Allowances) Bill, 2001 (Bill No.30 of 2001)." "The Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) (Amendment)Bill, 2001 (Bill No.31 of 2001)." "The Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2001 (Bill No. 32 of 2001)."
0.7	3.58 PM	The House adjourned for Tea-break
07	4.35 PM	The House reassembled Rescinsion of Suspension: On a request made by Shri Jagdish Mukhi, the suspension of Shri Sahab Singh Chauhan was rescinded.
		CALLING ATTENTION MOTION: Shri Jile Singh Chauhan, Shri Mahabal Mishra, Shri Arvinder Singh Lovely and Shri Tarvinder Singh Marwah called the attention

of the Chief Minister, "towards the feeling of insecurity, fear and terror among Delhites as a result of terrorist strikes in the capital." The Chief Minister Replied. The following members sought clarifications. 1. Shri Naresh Gaur 2. Shri Shoaib Iqbal 3. Shri Ram Singh Netaji 4. Shri Jai Bhagwan Aggarwal 5. Dr. Jagdish Mukhi 6. Shri Kanwar Karan Singh 7. Shri Naseeb Singh

8. Shri Mahender Yadav

9. Shri Subhash Chopra

10. Smt. Meera Bhardwaj

The Chief Minister replied.

6.14 PM

The House was adjourned for the day.

19th December, 2001 Delhi

SK Sharma Secretary